

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
पत्रांक 4386 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 11/06 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पोड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी-झ्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक
मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र दिनांक
27.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर ने अपने पत्र सं0 959/23एल0ए0 दिनांक 06.06.2020 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार
इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

01	It is notice that beyond the habitation (point 46 of the digital map) does not seem to be justified	ग्रामीणों की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त संरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है, जिसे भूगर्भकर्ता द्वारा उपयुक्त बताया जाने के उपरान्त ही अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा संरक्षण को अनुमोदित किया जाता है। मोटर मार्ग का संरक्षण इस प्रकार तय किया जाता है कि वन सम्पदा एवं अन्य सम्पत्तियों को कम से कम क्षति पहुँचे। प्रस्तावित मोटर मार्ग में उपयुक्त संरक्षण को ही प्रयुक्त किया गया है, जिससे कि ग्राम लांजी, पोखनी की जनता प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही है।
02	Whether the road lies in the bhagirathi Eco Sensitive Zone or not, a certificate to that effect should be provided by the concerned DFO.	Certificate of road lies in the bhagirathi Eco Sensitive Zone or not, uploaded in additional information slna 45 & also in soft copy.

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पोड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

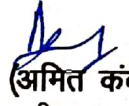
(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Eco Sensitive Zone ना होने का प्रमाण-पत्र

प्रस्ताव का नाम:- पाखी ह्यूणा पोखनी लांजी द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण।
प्रस्ताव का ऑईन नं०- FP/UK/Road/19747/2016

प्रमाणित किया जाता है कि पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि BHAGIRATHI ECO Sensitive Zone के अन्तर्गत नहीं आती है।


(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।